भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2205
(दिनांक 20.12.2022 को उत्तर देने के लिए)

'ट्राई' की शक्तियां

2205. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कॉपीराइट अधिनियम सहित मौजूदा बौद्धिक संपदा कानूनों के साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नियामक शक्तियों के सामंजस्य का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का केबल टीवी अधिनियम को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार के पास एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए कोई नीतिगत प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख): सरकार के पास कॉपीराइट अधिनियम सहित मौजूदा बौद्धिक संपदा कानूनों के साथ भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नियामक शक्तियों के सामंजस्य से संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (घ): इस मंत्रालय द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 सहित प्रशासित अन्य सभी अधिनियमों की समय-समय पर निरंतर समीक्षा की जाती है।

(ङ) से (च): सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा सरकार और उद्योग के विशेषज्ञों के साथ 8 अप्रैल, 2022 को एनिमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जिसका कार्य भारत में एवीजीसी क्षेत्र में युवाओं के लिए उनके संबंधित क्षेत्रों में लक्षित अंतःक्षेपों के माध्यम से विकास की कार्यनीतियां बनाना, नीति, क्षमता निर्माण, अवसंरचना, वित्त एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में संस्तुति करना और रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाना तथा इसे वैश्विक आईपी कंटेंट हब बनाना है।

*****